**(भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)**

भारत-सरकार
कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 मार्च, 2004

## अधिसूचना

सा.का.नि.---------- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 की धारा(5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा-विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सिविल (अस्थायी सेवा) नियमावली, 1965 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित *नियम बनाते हैं, अर्थात्*:-

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) संशोधन नियमावली, 2004 है ।
   (2) ये जनवरी 01, 2004 को लागू होंगे ।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली, 1965 के नियम 10 में-

   (i) उप नियम (I-क) में "खण्ड (क) अथवा जैसा भी मामला हो, खण्ड (ख) का" शब्द विलोपित किए जाएँ ;

   (ii) उप नियम (ख) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

"(7) नियम 10 के उपबंध, दिसंबर 31,2003 को अथवा इससे पहले नियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे" ।

.......2/-

## व्याख्यात्मक ज्ञापन

दिनांक जनवरी 01, 2004 से सरकारी सेवा में भर्ती किए गए व्यक्तियों के संबंध में परिभाषित अंशदान पर आधारित एक नई पेंशन योजना शुरू की गई है । चूँकि नई पेंशन योजना मौजूदा सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी, अतः इस संशोधन को भूतलक्ष्यी प्रभाव से लागू करने से मौजूदा कर्मचारियों के हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होंगे ।

प्रतिभा मोहन

**(श्रीमती प्रतिभा मोहन)**
निदेशक
(फाइल संख्या-12011/2/2003-स्थापना (ग))

**पाद टिप्पणी:** केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, 1965 दिनांक 01.05.1965 की अधिसूचना संख्या सा.आ. 1512 के अंतर्गत अधिसूचित किए गए थे और भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किए गए थे । ये नियम निम्नलिखित अधिसूचनाओं के अंतर्गत बाद में संशोधित किए गए थे:-

| | | |
|---|---|---|
| 1. | सा.आ.सं. 3895 | दिनांक 4.11.67 |
| 2. | सा.का.नि.सं. 1082 | दिनांक 25.7.70 |
| 3. | सा.का.नि.सं. 589 | दिनांक 24.4.71 |
| 4. | सा.आ.सं. 2335 | दिनांक 19.8.72 |
| 5. | सा.आ.सं. 2601 | दिनांक 30.9.72 |
| 6. | सा.आ.सं. 4022 | दिनांक 9.12.72 |
| 7. | सा.का.नि.सं. 452 | दिनांक 11.5.74 |
| 8. | सा.आ.सं. 4541 | दिनांक 25.10.75 |
| 9. | सा.आ.सं. 2 | दिनांक 3.1.76 |
| 10. | सा.का.नि.सं. 3489 | दिनांक 9.12.78 |
| 11. | सा.का.नि.सं. 433 | दिनांक 24.3.79 |
| 12. | सा.का.नि.सं. 258 | दिनांक 8.3.80 |
| 13. | सा.का.नि.सं. 613 | दिनांक 4.7.81 |
| 14. | सा.का.नि.सं. 620 | दिनांक 24.7.82 |
| 15. | सा.का.नि.सं. 145 | दिनांक 11.3.89 |
| 16. | सा.का.नि.सं. 446 | दिनांक 4.12.2003 |

प्रतिभा मोहन

**(श्रीमती प्रतिभा मोहन)**
निदेशक

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, रिंग रोड,
नई दिल्ली ।